

संख्या: /XXIV-2/2004

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह,
उप सचिव,
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्
शिक्षा केन्द्र - 2,
श्रमुदाम चौन्द, ग्रीष्मि विहार,
नई दिल्ली।

माध्यमिक शिक्षा अनुमान देहरादून दिनांक ०७-जुन, 2004

विषय: हरिश्वन्द रामकली देवी पश्चिम राजूल बरोड़ी, लक्ष्मण, जनपद हरिद्वार को शिक्षा केन्द्र ०१०३०५० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया जाना।

गठीय,
उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, कि हरिश्वन्द रामकली देवी पश्चिम राजूल बरोड़ी, लक्ष्मण, जनपद हरिद्वार को शिक्षा केन्द्र ०१०३०५० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिवर्त्यों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

- 1- विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का संग्रह-संग्रह पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 2- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 3- विद्यालय में कग से कग 10 प्रतिशत रथान अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तरांचल शासन, देहरादून द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निवारित शुल्क से अधिक नहीं दिया जायेगा।
- 4- रथान द्वारा राज्य सरकार शे शिक्षा अनुदाम की गांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा देशीय शिक्षा परिषद से गांगता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद नई दिल्ली से प्राप्त होने की हिति से उत्तरांचल शासन देहरादून द्वारा प्रदत्त

Principal
PRINCIPAL
H.R. Public Sch. (10+2), CBSE
Laksar, Haridwar (U.K.)
School No.- 81408, Affil. No.- 3530174

-2-

गांगता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान लेने सकता है जायेंगे।

- 5- अंतर्राष्ट्रीय एवं शिक्षाण्डित्त कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त करना अन्य गत्तों से कम वैतनमान तथा अन्य गत्तों नहीं दिए जायेंगे।
- 6- कर्मचारियों की शेवा शर्त बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अंशासारीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों के अनुरूप रोचान्विति के लाग विद्यालय कराये जायेंगे।
- 7- विद्यालय द्वारा शिक्षक / कर्मचारियों को वैतन एवं भरते राज्य सरकार के समतुल्य दिये जायेंगे।
- 8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपञ्च / परिकारों में रखा जायेगा।
- 9- उपर शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुग्रह के लिए कोई परिवर्तन / संशोधन परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
- 10- विद्यालय द्वारा शिक्षक / कर्मचारियों को वैतन एवं भरते राज्य सरकार के समतुल्य दिये जायेंगे।
- 11- एक वर्ष के अन्दर दैयर कर लिये जायेंगे।

2- उत्तरांचल प्रतिवर्त्यों का पालन करना संस्था के लिए अंगिकार्य प्रतिवर्त्यों का पालन नहीं किया जा सकता है कि संस्था द्वारा उच्च गति प्रकार जी चूक या शिखिलाला बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र घापस हो लिया जायेगा।

मयदीय,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव